न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :— कैलाश चन्द आर. ए. एस.

प्रकरण संख्या 12/2016

1. अंग्रेज सिंह उम्र 19 साल पुत्र स्व. श्री गुरमीतसिंह जाति रायसिख निवासी 9 एलपीएम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

प्रार्थीगणः—

बनाम

1. जंगीरसिंह उम्र 90 साल पुत्र श्री गोविन्दसिंह जाति रायसिख निवासी 9 एलपीएम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर हाल 1 सी बडी तहसील व जिला श्रीगंगानगरे
2. मिन्दो बाई उम्र 40 साल पुत्री श्री जंगीरसिंह पत्नी श्री श्यामसिंह जाति रायसिख निवासी 1 सी बडी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर

अप्रार्थीगणः—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधि.।

उपस्थिति :—
श्री सिकन्दर सिंह सवना ,अधिवक्ता ,प्रार्थीगण
श्री कुलदीप भादू , अधिवक्ता , अप्रार्थीगण

—: निर्णय :— दिनांकः—19.04.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी अंगेज सिंह पुत्र स्व श्री गुरमीतसंह जाति रायसिख निवासी 9 एलपीएम ने प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के दादा वा अप्रार्थीया सं. 2 के पिता जंगीरसिह पुत्र श्री गोविन्दसिंह जाति रायसिख निवासी 9 एलपीएम के नाम से मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2068—2071 वाके चक 9 एलपीएम ए तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 8 में पं.नं. 285/360 मु.नं. 14 के कि.नं. 7, 8 प्रत्येक .253 है0 अनकमाण्ड, 13 की .253 है0 कमाण्ड, 14, 15 व 18 प्रत्येक .253 है0 अनकमाण्ड व 19 की .253 है0 कमाण्ड कुल 1.771 है0 कमाण्ड अनकमाण्ड कृषि भूमि राजस्व अभिलेखो में दर्ज है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कि जावे कि चक 9 एलपीएम ए के खाता सं 8 पं.नं. 285/360 मु.नं. 14 के कि.नं. 7, 8 सालम, 13 ता 15 सालम, 18 सालम, 19 सालम, कुल 1.771 है0 कमाण्ड /अनकमाण्ड भूमि को किसी भी प्रकार से किसी अन्य को रहन बैय या अन्य तरिके से हस्तान्तरित करने से एवं अप्रार्थी सं. 2 अप्रार्थी सं. 1 की खराब मानसिकता वा शारिरीक स्थिति का बेजा लाभ उठाते हुए विवादित रकबा को किसी प्रकार के बेनामी दस्तावेज से अपने अथवा अपने वारिसान को विवादित रकबा से से जबरन बलपूवर्क विधिविरूद्व तरीके से बेदखल कर किसी अन्य को रहन बैय या अन्य तरीके से जबरन बलपूवर्क विधिविरूद्व तरीके से बेदखल कर किसी अन्य को रहन बैय या अन्य तरीके से स्वयं या अप्रार्थी सं. 1 के जरिये अंतरित करने या करवाने से भी बाज व ममनू रहे।

प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री कुलदीप भादू उपस्थित आये, तथा जवाब प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यो का विराध करते हुए प्रार्थना—पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया व उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस पर गहनता से मनन किया। मुताबिक नकल जमाबन्दी चक 9 एलपीएम ए तहसील रायसिंहनगर संवत् 2068—2071 खाता सं. 8 पं.नं. 285/360 मु.नं. 14 के कि.नं. 7, 8, 13, 14, 15, 18 व 19 अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थना—पत्र की मद सं. 3 में अंकित किया है कि अप्रार्थी सं. 1 की कुछ अर्से से शारीरिक व मानसिक हालत अत्यन्त खराब है। मन व शरीर से स्वस्थ व स्थिर व एकचित नही है तथा उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नही है। लेकिन प्रार्थी ने तथ्यों को

उप जिला कलैक्टर

Scanned by CamScanner

साबित करने के लिए दस्तावेज पेश नही किये है। अप्रार्थी सं. 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस में कथन किया है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 की स्व–अर्जित भूमि है। विरास्तन/पैतृक भूमि नही है। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 से भूमि प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अप्रार्थी सं. 1 ने भूमि स्वअर्जित होने संबन्धित कोई दस्तावेज पेश नही किये है। अप्रार्थी सं. 1 उक्त विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार कृषक है। रिकार्डेड खातेदार कृषक को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है। न्यायालय के मत में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र एवं पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होती है।

–: कियात्मक आदेश :–

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र एवं पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामिल तकमील मुल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय दिनांक 19.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

उप जिला कलेक्टर
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner